न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 1372/2011

संस्थापन दिनांक 09.12.2011

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

बनाम

1—रामबाबू पुत्र जगन्नाथ राठौन उम्र 50 साल 2—रामबेटी उर्फ अमायन वाली पत्नी रामबाबू उम्र 45 साल

3—धर्मेन्द्र पुत्र रामबाबू राठौर उम्र 28 साल 4—मुरारी पुत्र रामबाबू राठौर उम्र 18 साल निवासीगण वार्ड नं0 14 मौ, थाना मौ जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक......घोषित]

- 1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323/34, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 323/34, एवं 324/34, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 17.08.11 को शाम 07:30 बजे या उसके लगभग आरोपी रामबाबू के मकान के सामने लोकमार्ग थाना मौ जिला भिण्ड पर सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनेश की मारपीट कर खेचछा उपहित कारित की तथा धारदार हथियार से नरेश अ0सा01 व मीना अ0सा02 एवं दशरथ अ0सा04 की मारपीट कर खेच्छा उपहित कारित की तथा दिनेश को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.08.11 को प्रातः 07:00 बजे फरियादी नरेश अ0सा01 का पानी भरने की बात पर आरोपीगण से विवाद हो गया था। उक्त दिन वह शौच के लिए जा रहा था तब इसी घटना पर

आरोपी रामबाबू ने अपने घर के दरवाजे के सामने नरेश अ0सा01 के निकलते समय धर्मेन्द्र, मुरारी, और रामबेटी उर्फ अमायन वाली के साथ मिलकर नरेश अ0सा01 को अश्लील गालियां दी फरियादी द्वारा मना करने पर रामबाबू ने नरेश अ0सा01 के कुल्हाड़ी मारी जो बांये हाथ के कोहनी पर लगी मुरारी ने लाठी मारी जो दाहिने हाथ में लगी उसका भाई दशरथ अ0सा04 बचाने आया तो रामबाबू ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी एक लाठी धर्मेन्द्र ने मारी जो बांये तरफ बखा में लगी, मीना अ0सा02 बचाने आई तो धर्मेन्द्र ने उसे लाठी मारी जो सिर में लगी। छोटे अ0सा03 बचाने आया तो धर्मेन्द्र ने उसे लाठी मारी जो सिर में लगी, दिनेश बचाने आया तो मुरारी ने उसे सिर में लाठी मारी, रामबेटी ने नरेश अ0सा01 को डण्डे मारे। मौके पर जयवीर व रामवीर अ0सा07 आ गये तब आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। तत्पश्चात नरेश अ0सा01 ने थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कराई जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध थाना मौ में अप0क0 163/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनने से अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यालय के समक्ष पेश किया गया।

- आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय प्रश्न है कि :--
 - 1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 17.08.11 को शाम 07:30 बजे या उसके लगभग आरोपी रामबाबू के मकान के सामने लोकमार्ग थाना मौ जिला भिण्ड पर आरोपीगण ने सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनेश की मारपीट कर स्वेचछा उपहति कारित की ?
 - 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार से नरेश अ०सा०1 व मीना अ०सा०2 व दशरथ अ०सा०4 की मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
 - 3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने दिनेश को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत ३ पर सकारण निष्कर्ष //

तरेश अ०सा०१ ने कथन किया है कि दिनांक 17.08.11 को प्रातः 07:30 बजे के लगभग पानी भरने के उपर विवाद हो गया था उसके बाद वह शौच के लिए जा रहा था तब आरोपीगण के घर से निकलते समय आरोपीगण धर्मेन्द्र, मुरारी, रामबाबू और रामबेटी मिले, रामबाबू ने उसे कुल्हाडी मारी जो बांये हाथ में लगी, उसका भाई दशरथ अ०सा०४ बचाने आया तो रामबाबू ने उसे सिर में कुल्हाडी मारी, मीना अ०सा०२ बचाने आई तो धर्मेन्द्र ने उसे सिर में लाठी मारी फिर रामबेटी ने 6 डण्डे सभी लोगों के मारे मौके पर जयवीर, रामवीर अ०सा०७ आ गये जिन्होंने बीच बचाव कराया। उसने थाना मौ पर रिपोर्ट प्र०पी—1 लिखाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटनास्थल पर आई और नक्शामौका प्र०पी—2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

मीना अ०सा०२ ने मुख्यपरीक्षण में नरेश अ०सा०१ के कथन का समर्थन किया है कि नरेश अ०सा०१ को रामबाबू ने कुल्हाडी मारी जो बांये हाथ पर लगी और धर्मेन्द्र ने उसे सिर में कुल्हाड़ी मारी थी। दशरथ अ०सा०४ के रामबाबू ने कुल्हाडी मारी थी जो सिर में लगी थी। फिर वह बेहोश हो गयी था। छोटू अ०सा०३ ने मुख्यपरीक्षण में नरेश अ०सा०१ के कथन का समर्थन किया है कि रामबाबू ने कुल्हाडी उसके पिता नरेश अ०सा०1 के दाहिने हाथ में मारी लेकिन साक्ष्य के दौरान उसने पूछे जाने पर बांया हाथ बताया है, दशरथ अ०सा०४ को मुरारी और धर्मेन्द्र ने मारा था। उसके चाचा दिनेश को मुरारी व धर्मेन्द्र ने कुल्हाड़ी मारी थी उसकी मां मीना अ0सा02 को रामबाबू ने सिर में कुल्हाड़ी मारी थी। अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दशरथ अ०सा०४ के सिर में रामबाबू ने कुल्हाड़ी मारी थी और इस सुझाव से इंकार किया है कि धर्मेन्द्र ने मीना अ०सा०२ को लाठी मारी थी और स्वतः कथन किया है कि कुल्हाड़ी मारी थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी–3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। दशरथ /अ०सा०४ ने मुख्यपरीक्षण में नरेश अ०सा०1 के कथन का समर्थन किया है कि रामबाबू ने नरेश अ०सा०1 के दांये हाथ में कुल्हाडी मारी मीना अ०सा०2 खून में लंथपथ पड़ी थी जब वह स्वयं पहुंचा तब रामबेटी, धर्मेन्द्र और मुरारी ने उसे पकड़कर लाठी और कुल्हाडी से मारा जिससे उसके सिर में चोट आई। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि रामबाबू ने सिर में कुल्हाडी मारी थी और दिनेश को भी मारा था। मुकेश अ०सा०५ ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2011 में शाम 7 बजे जब वह घर पर खाना खा रहा था तब उसे गाली गलौच की आवाज आई जब वह बाहर आया तब उसने देखा दशरथ अ०सा०४ के सिर में चोट थी उसके सिर में कुल्हाडी से चोट आई थी नरेश अ0सा01 के हाथ में चोट थी नरेश अ0सा01 को धर्मेन्द्र ने कुल्हाडी मारी थी। रामबेटी और मुरारी ने दिनेश को मारा था।

7. साक्षी रामवीर अ०सा०७ ने न्यायालयीन साक्ष्य में घटना से अनिभन्नता व्यक्त की है और इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 17.08.11 को आरोपीगण ने नरेश अ०सा०१, मुन्ना अ०सा०१, दशरथ अ०सा०४ व दिनेश की मारपीट की थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी–9 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

8. साक्षी डॉ० आर०विमलेश अ०सा०६ ने कथन किया है कि दिनांक 17.08. 11 को डॉ० हरीश हासवानी सी.एच.सी. मी में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उनके साथ वह भी पदस्थ थे। वर्तमान में डॉ० हासवानी लापता हैं तथा मैं डॉ० आर० विमलेश डॉ० हरीश हासवानी के हस्ताक्षर एवं हस्तिलिप को पहचानता हूं क्योंकि मैंने उनके साथ कार्य किया है। उक्त दिनांक को कांस्टेबल तेजिसंह द्वारा लाये जाने पर आहता मीना अ०सा०२ पत्नी नरेश राठौर अ०सा०१ निवासी मौ का मेडीकल परीक्षण डॉ० हरीश हासवानी द्वारा निम्नानुसार किया गया था। चोट नं०१कटा हुआ घाव साथ में रक्तस्त्राव २गुणा१ / २ आकार में दाहिनी ओर सिर में था। यह चोट धारदार हथियार द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी। जो परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर की अवधि की होकर साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी—4 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ० हरीश हासवानी के

हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी कांस्टेबल द्वारा आहत दशरथ अ०सा०४ पुत्र मोहरमन निवासी मौ का मेडीकल परीक्षण डाँ० हरीश हासवानी द्वारा निम्नानुसार किया गया। चोट नं01 कटा हुआ घाव 1/3गुणा1गुणा हड्डी तक गहरा था। जो दाहिनी ओर सिर में था। चोट नं02 कटा हुआ घाव जो 1/3गुणा हुड़डी तक गहरा था। जो बांयी ओर सिर में था। उक्त दोनों चोटें धारदार हथियार द्वारा आई हुई प्रतीत होती है जो परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की होकर साधारण प्रकृति हैं। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी–5 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 हरीश हासवानी के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी कांस्टेबल द्वारा लाये जाने पर आहत नरेश अ०सा०१ पुत्र मोहरमन उम्र 18 वर्ष निवासी मौ का मेडीकल परीक्षण डॉं० हरीश हासवानी द्वारा निम्नानुसार किया गया। चोट नं01 कटा हुआ घाव 1ग्णा1से.मी.ग्णा हड्डी तक गहरा था जो बांयी भुजा पर था। चोट नं02 दाहिने हाथ में कडापन, सूजन थी। अभिमत चोट नं01 धारदार हथियार द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी। जो परीक्षण के 24 घण्टे की अवधि की थी। उक्त चोट की प्रकृति जानने के लिए एक्स-रे की सलाह दी गयी थी। चोट नं02 सख्त एवं मौंथरी वस्त् ्रेस आई हुई प्रतीत होती थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी–6 है जिसके ए से 🐧 भाग पर डाँ० हरीश हासवानी के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसी करिटेबल द्वारा लाये जाने पर आहत दिनेश पुत्र मोहरमन निवासी मौ का 🛂चिकित्सीय परीक्षण डाॅ० हरीश हासवानी द्वारा निम्नानुसार किया गया। चोट नं०1 आहत के सिर में कठोरपन था अन्य कोई चोट दृश्यमान नहीं थी। जो परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की थी तथा साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी–7 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 हरीश हासवानी के हस्ताक्षर हैं 🕒

नरेश अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण में रामबाबू द्वारा बांग्रे हाथ पर कुल्हाड़ी मारना बताया है। नरेश अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा ८ में कुल्हाड़ी का स्वरूप बताने में असमर्थता व्यक्त की है। परन्तु उसे ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि उसे धार की तरफ से कुल्हाड़ी नहीं मारी गयी और पैरा ९ में उसने स्पष्ट कथन किया है कि उसकी चोट कटी हुई थी अतः कुल्हाड़ी के स्वरूप का अज्ञान तात्विक नहीं है। नरेश अ०सा०१ ने कथन किया है कि उसके शरीर पर दो चोटें थी जो उसके परिवार के सदस्यों ने देखी थीं। परन्तु वह यह नहीं देख पाये थे कि चोट किसने पहुंचाई। अतः नरेश अ०सा०१ के कथनानुसार उसे उपहित कारित करते हुए अन्य किसी ने नहीं देखा।

10. मीना अ०सा०२ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा २ में बताया है कि नरेश अ०सा०1 के बांये हाथ के पोंहचे में रामबाबू ने कुल्हाड़ी मारी थी और पैरा ४ में बताया है कि नरेश अ०सा०1 के केवल एक ही चोट थी। नरेश अ०सा०1 को कुल्हाड़ी धार की तरफ से लगी थी। मीना अ०सा०२ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा ७ में कथन किया है कि उसे नहीं पता कि उसके पित को कितनी कुल्हाड़ी किस—किसने मारी और उसके पहुंचने के बाद उसके पित की पिटाई नहीं हुई जब वह पहुंची तब नरेश अ०सा०1 जमीन पर पड़ा था। छोटू अ०सा०3 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा ५ में कथन किया है कि उसके पिता के बांये हाथ की कलाई व कोहनी के बीच धार की तरफ से चोट आई थी और पैरा ७ में स्वीकार किया है कि उसके पिता आरोपीगण में कुल्हाडी देना चाह रहे थे तो बचाव में उनके लग गयी। लेकिन इस आशय का सुझाव नरेश अ०सा०1 को नहीं दिया गया है।

11. दशरथ अ०सा०४ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा ४ में कथन किया है कि उसके

सामने आरोपीगण ने नरेश अ०सा०1 और मीना अ०सा०2 की मारपीट नहीं की और जब वह पहुंचा तब कुल्हाड़ी लग चुकी थी और उसने कथन प्र०डी—1 में नरेश अ०सा०1 के कुल्हाड़ी लगने वाली बात नहीं बतायी। मुकेश अ०सा०5 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में धर्मेन्द्र द्वारा नरेश अ०सा०1 के हाथ में कुल्हाड़ी मारा जाना बताया है। जबिक कथन प्र०डी—3 में रामबाबू द्वारा कुलहाड़ी मारना उल्लिखित है जिसे लिखाये जाने से उसने इंकार किया है। अतः मुकेश अ०सा०5 ने रामबाबू द्वारा नरेश अ०सा०1 को उपहित पहुंचाये जाने के तथ्य से इंकार किया है।

12. मीना अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में धर्मेन्द्र द्वारा सिर में कुल्हाडी मारा जाना बताया है और प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में भी कथन प्र0डी—1 में उक्त बात लिखाया जाना बताया है लेकिन कथन प्र.डी.1 में उक्त तथ्य का लोप है जिसका वह कारण बताने में असमर्थ रही है और मात्र धर्मेन्द्र द्वारा लाठी मारा जाना ही उल्लिखित है। नरेश अ0सा01 ने भी मुख्यपरीक्षण में मीना अ0सा02 को धर्मेन्द्र द्वारा लाठी मारा जाना ही बताया है। दशरथ अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि उसने मीना अ0सा02 की मारपीट होने के संबंध में कथन प्र0डी—2 में नहीं बताया। मुकेश अ0सा05 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि मीना अ0सा02 को धर्मेन्द्र ने सिर में कुल्हाडी मारी थी जिससे हाथ में चोट आई थी। अतः मुकेश अ0सा05 ने मीना अ0सा02 के कथन का समर्थन नहीं किया है।

13. नरेश अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दिनेश को मुरारी ने सिर में लाठी मारी थी। मीना अ0सा02 ने भी मुख्यपरीक्षण में बताया है कि मुरारी नें दिनेश ने लाठी मारी थी जो सिर में लगी थी। लेकिन छोटू अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दिनेश को मुरारी और धर्मेन्द्र ने कुल्हाड़ी मारी थी। दशरथ अ0सा04 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दिनेश को भी मारा था। अभियोजन दिनेश को साक्ष्य में परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है। मीना अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया है कि रामबेटी ने दिनेश के सिर में डण्डा मारा था जिसका भी लोप कथन प्र0डी—1 में है जिससे पैरा 3 में उसने इंकार किया है और कथन किया है कि वह नहीं देख पाई कि दिनेश के सिर पर कितनी लाठी मारी थी, रामबाबू ने भी दिनेश के सिर में लाठी मारी थी लेकिन उक्त तथ्य का भी कथन प्र0डी—1 में लोप है जिसका भी वह कारण बताने में असमर्थ रही है।

14. दशरथ अ०सा०४ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा ४ में कथन किया है कि धर्मेन्द्र ने उसे कुल्हाडी मारी उसे मुरारी ने भी कुल्हाडी मारी जो सिर में दांयी तरफ लगी। उसे धार की तरफ से कुल्हाडी मारने से दो चोटें आई थीं। नरेश अ०सा०1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में कथन किया है कि दशरथ अ०सा०4 के दाहिने हाथ में चोट आई थी। मीना अ०सा०2 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा ४ में बताया है कि दशरथ अ०सा०4 के माथे व सिर में चोट आई थी जो रामबाबू ने पहुंचाई थी और रामबाबू ने ही सिर व माथे में धार की तरफ से कुल्हाड़ी मारी थी। छोटू अ०सा०3 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा ४ में कथन किया है कि दशरथ अ०सा०4 को रामबाबू ने कुल्हाड़ी से मारा था जो धार की तरफ से लगी थी जो बांये बखा में मारी थी और सिर में लगी थी।

15. रंजिश के संबंध में नरेश अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में कथन किया है कि उसकी रामबाबू से कोई रंजिश नहीं है बस पानी के पीछे का विवाद है। मीना अ०सा०२ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में कथन किया है कि आरोपीगण अच्छा खाते पीते हैं इस कारण वह रंजिश रखते हैं। छोटू अ०सा०३ ने प्रतिपरीक्षण

के पैरा 4 में स्वीकार किया है कि उसके माता पिता व चाचा दशरथ अ०सा०4 ने भी आरोपी रामबाबू व उसकी पत्नी की मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट रामबाबू ने की है जिससे बचने के लिए उन्होंने यह झूठी रिपोर्ट की है लेकिन इस आशय का कोई सुझाव नरेश अ०सा०1 को नहीं दिया गया है। दशरथ अ०सा०4 ने भी पैरा 4 में स्वीकार किया है कि रामबाबू ने भी उनके खिलाफ रिपोर्ट की होगी और फरियादी पक्ष द्वारा आरोपीगण की मारपीट करने पर फरियादी पक्ष को चोट आने के तथ्य से इंकार किया है।

16. मुकेश अ०सा०५ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में दशरथ अ०सा०४ व मीना अ०सा०२ और दिनेश को उपहित कारित करने के संबंध में पुलिस को कोई भी तथ्य बताने से इंकार कर प्रथम बार न्यायालयीन साक्ष्य में वर्णित करना बताया है और इस संबंध में भी पैरा 3 में कथन किया है कि जब वह पहुंचा तब झगडा शांत हो चुका था। किसने बीच बचाव कराया उसे नहीं मालूम। उसके पहुंचने के बाद झगडा नहीं हुआ। अतः मुकेश अ०सा०५ के कथन से वह घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होना भी परिलक्षित नहीं होता है।

17. एफआईआर के संबंध में नरेश अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा ७ व १० में कथन किया है कि वह साढे सात बजे रिपोर्ट करने थाने पर पहुंच गया था और ऐसा नहीं है कि वह साढे सात बजे नहीं पहुंचा था। एफआईआर प्र०पी–१ रात्रि 8:05 बजे की है। अभिलिखित घटना शाम साढे सात बजे की है अतः मात्र आधे ६ गण्टे का विरोधाभास है जोकि तात्विक नहीं है।

18. नरेश अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में कथन किया है कि उसने नहीं सुना कि किस व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी।

19. अतः नरेश अ०सा०१ ने स्पष्ट कथन किया है कि उसे रामबाबू ने हाथ में कुल्हाडी मारी थी जो प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहा है। मीना अ०सा०२ व दशरथ अ०सा०४ द्वारा इस आशय के कथन दिए गए हैं कि उनके सामने नरेश अ०सा०१ की मारपीट नहीं हुई। जो नरेश अ०सा०१ के इस कथन से स्पष्ट होता है कि जब उसकी मारपीट हो रही थी तब अन्य लोग नहीं देख पाये थे कि उसे किसने चोट पहुंचाई थी परन्तु उन्होंने चोट देखी थी अतः मीना अ०सा०२ व दशरथ अ०सा०४ के उक्त कथन से नरेश अ०सा०१ के कथन की संपुष्टि होती है और डॉ० आर०विमलेश अ०सा०६ ने भी नरेश अ०सा०१ के बांयी भुजा में कटे हुए घाव का उल्लेख किया है। अतः नरेश अ०सा०१ के कथन का वस्तुतः न्यायालीयन साक्ष्य में चिकित्सक व मीना अ०सा०२ व दशरथ अ०सा०४ द्वारा समर्थन किया गया है।

20. मीना अ०सा०२ ने धर्मेन्द्र द्वारा सिर में कुल्हाडी मारा जाना बताया है। चिकित्सक डॉ० आर०विमलेश अ०सा०६ ने भी मीना के सिर में चोट का उल्लेख किया है। लेकिन मीना अ०सा०२ ने धर्मेन्द्र द्वारा कुल्हाडी से चोट पहुंचाया जाना बताया है जबिक कथन प्र०डी–1 और साक्षी नरेश अ०सा०१ ने लाठी से उक्त चोट पहुंचाया जाना बताया है। अतः इस संबंध में मीना अ०सा०२ ने कथन प्र०डी–1 के विरोधाभासी कथन दिए हैं जिसका समर्थन नरेश अ०सा०१ व दशरथ अ०सा०४ ने भी नहीं किया है और मुकेश अ०सा०5 की घटनास्थल पर उपस्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अतः कुल्हाडी से मीना अ०सा०२ को चोट पहुंचाये जाने के संबंध में मीना अ०सा०२ ने विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है।

21. नरेश अ0सा01, मीना अ0सा02, दशरथ अ0सा04 ने दिनेश को भी उपहति आना बताया है लेकिन नरेश अ0सा01 ने दिनेश को मुरारी द्वारा चोट पहुंचाया जाना बताया है जबिक मीना अ०सा०२ ने रामबेटी द्वारा चोट पहुंचाया जाना बताया है और दशरथ अ०सा०४ उसका पिता होते हुए भी यह स्पष्ट कथन नहीं कर सका है कि किसने दिनेश को चोटें पहुंचाईं। स्वयं दिनेश भी अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दिनेश को उपहित पहुंचाये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्षी नरेश अ०सा०१ और मीना अ०सा०२ ने ही एकरूप कथन नहीं किए हैं और दशरथ अ०सा०४ ने भी स्पष्ट कथन नहीं बताये हैं अतः दिनेश को कारित उपहित के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। चिकित्सक द्वारा भी दिनेश के कोई सदृश्य चोट उल्लिखित नहीं की गयी है। अतः आरोपीगण द्वारा दिनेश को उपहित पहुंचाये जाने के संबंध में भी अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है।

- 22. दशरथ अ०सा०४ ने स्वयं को धर्मेन्द्र व मुरारी द्वारा सिर में धार की तरफ से कुल्हाडी मारना बताया है जिसका समर्थन चिकित्सक डॉ० आर०विमलेश अ०सा०६ के कथन से भी हुआ है। नरेश अ०सा०१ और मीना अ०सा०२ ने भी दशरथ अ०सा०४ को आई चोट का समर्थन किया है जो प्रतिपरीक्षण में भी चुनौतीविहीन रहे हैं। अतः दशरथ अ०सा०४ को काटने के उपकरण से आरोपीगण द्वारा चोट पहुंचाये जाने के संबंध में अभियोजन द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है।
- 23. बचाव पक्ष आरोपीगण से कोई पूर्व की रंजिश स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है। छोटू अ०सा०३ द्वारा प्रतिरक्षास्वरूप नरेश अ०सा०१ द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध कराया जाना बताया है लेकिन आरोपीगण ने नरेश अ०सा०१ की रिपोर्ट के यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से उचित रूप से स्पष्ट हो सकता था लेकिन ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य बचाव पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया है और ना ही नरेश अ०सा०१ व मीना अ०सा०२ को इस संबंध में कोई सुझाव दिए गए हैं। दशरथ अ०सा०४ ने भी मात्र रिपोर्ट की संभावना व्यक्त की है। छोटू अ०सा०३ द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूर्णतः मुख्यपरीक्षण के विपरीत कथन करता है जिससे उसके कथन विश्वसनीय और निर्भर रहने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।
- 24. नरेश अ0सा01 ने किसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी यह स्पष्ट नहीं किया है। दिनेश को जान से मारने की धमकी दी गयी यह अन्य किसी साक्षी ने भी वर्णित नहीं किया है। अतः दिनेश को अभित्रास कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन ने कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।
- 25. अतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना से नरेश अ०सा०1 व दशरथ अ०सा०4 को आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाये जाने के तथ्य को अभियोजन विश्वसनीय रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। परन्तु दिनेश को आरोपीगण द्वारा उपहित पहुंचाये जाने और मीना अ०सा०२ को काटने के हथियार से उपहित पहुंचाये जाने के संबंध में अभियोजन द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहता है कि आरोपीगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में नरेश अ०सा०1 व दशरथ अ०सा०4 को कुल्हाड़ी से स्वेच्छया उपहित कारित की। परन्तु युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मीना अ०सा०२ को

कुल्हाड़ी से और दिनेश को स्वेच्छया उपहति कारित की अथवा दिनेश को आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 26. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 दो बार भा.द.स. आहत नरेश अ0सा01 व दशरथ अ0सा04 के संबंध में के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। आरोपीगण को धारा 324/34 भादस मीना अ0सा02 के संबंध में के आरोप में और धारा 323/34 व 506 भादस के दिनेश के संबंध में के आरोप में दोषमुक्त ह ोषित किया जाता है।
- 27. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है।
- 28. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपी रामबेटी महिला है और पानी भरने की बात पर विवाद उत्पन्न हुआ है आरोपीगण की पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। आहत नरेश अ0सा01 और दशरथ द्वारा शेष शमनीय आरोप में राजीनामा भी कर लिया गया है। अतः आरोपीगण को कारावास का दण्डादेश दिया जाना उचित व आवश्यक प्रतीत न होने से आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आरोपीगण द्वारा धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन दस हजार रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का बंध पत्र इस शर्त के अधीन प्रस्तुत किया जाये कि वह निर्णय दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक परिशांति बनाये रखेंगें और सदाचारी रहेंगें और पुनः समान प्रकृति के अपराध में सिम्मिलत नहीं होंगें और उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय के समक्ष दण्डादेश भुगतने के उपस्थित रहेंगें तो आरोपीगण को परिवीक्षा पर रिहा किया जाये।

29. निर्णय की प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

30. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / —
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०